न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

कैलाश चन्द बनाम छोटेलाल

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/47/2025

23.05.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या 33 खसरा संख्या 341/0.3500, खाता संख्या 171 खसरा संख्या 352/0.0200, वाके ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर तकसीम होने तक आराजी के किसी भी विशिष्ठ भाग को दीगर शख्सों को किसी भी प्रकार से मुन्तकिल कर मुंतकिली का दस्तावेज पंजीबद्ध न करें, ना ही करावे, ना ही प्रार्थी को उनके हिस्सेनुसार कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में कोई व्यवधान उत्पन्न करें। अन्त में उक्त विवादित आराजी के मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्राथी ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थीगण की मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 33, 171, वाके ग्राम सुरेर तहसील राजगढ की सहखातेदारी खातेदारी है। विवादित आराजी की तकसीम होने तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। **अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि *आराजी खाता संख्या 33 खसरा संख्या 341/0.3500, खाता संख्या 171 खसरा संख्या 352/0.0200, वाके ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर* के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। उक्त आदेश उभयपक्षकारान पर प्रभावी रहेगे।** अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 23.06.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(हरकेश मीना आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
not press [illegible]	24/09/25 पत्रावली पेश। मूलवाद Note press के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के साथ संलग्न हो। SDO